न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 79 / 2025(GCMS 2025/353)
(RTI No. 212015215737438)

श्री बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह वार्ड नं. 20, लालगढ़ [illegible] सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 95303–29722)

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13.03.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री बलविन्द्र सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.07.2025 से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार समय पर सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण, अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील पेश कर, लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि श्री बलविन्द्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न 02 बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र क्रमांक मु.म.–ओएसडी (पीसीएस) / 01 / 25 / 108245 दिनांक 16.06.2025 के सम्बन्ध में आप जी के कार्यालय द्वारा भेजें गए जवाब की प्रमाणित फोटो प्रति।
2. आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक – जनसुनवाई / 2024 / 718 दिनांक 24.06.2024 के द्वारा श्रीमान जिला प्रभारी सचिव एवं जिला कलेक्टर महोदय द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट की प्रमाणित फोटो प्रति।

इस कार्यालय के पत्रांक सीजी / वाचक / 25 / 3006 दिनांक 01.10.2025 से उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को अपीलार्थी की अपील पर टिप्पणी भिजवाने हेतु लिखा गया था इसके पश्[illegible] दिनांक 29.10.2025 **(स्मरण पत्र–1)** एवं 05 दिनांक 02.01.2026 **(इ[illegible]क [illegible]ण पत्र–2) से** अपीलार्थी की अपील पर टिप्पणी भिजवा[illegible] द्वारा अपील का कोई जवाब / टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई है कि [illegible]नके द्वारा अपीलार्थी को क[illegible] जवाब दिया है अथवा नहीं। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धा[illegible] 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.04.01 12:24:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(1) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया हो, ज्ञात नहीं होता है। जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं। आप द्वारा प्रार्थना पत्र का प्रार्थी को कोई जवाब न देना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति आपकी असंवेदनशीलता, उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि निर्णय प्राप्त होने के 07 दिवस में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2026.04.01 12:24:18 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर